<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट), सिद्धार्थनगर।</u>

UPSD010034352025

Criminal Misc. Cases/321/2025

1– ज्ञानमती पत्नी मोहन

निवासी महदेवा बुजुर्ग थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

---प्रार्थिनी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र रामनरेश
2. सनोज पुत्र रामनरेश
3. सुनील पुत्र रामनरेश

निवासीगण महदेवा बुजुर्ग थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

4. लेखपाल आशुतोष राजस्व ग्राम बुजुर्ग थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

----विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) बीएनएसएस

थाना सिद्धार्थनगर, जिला–सिद्धार्थनगर।

<u>दिनांकः–10–03–2026</u>

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बीएनएसएस</u>

1. पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई।

2. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी ज्ञानमती की तरफ से धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका हरिजन आबादी में अपने प्राप्त पट्टाशुदा जगह पर कच्चा आवास बनाकर आबाद चली आ रही थी, किन्तु विपक्षी, लेखपाल आशुतोष को अपने साजिश में मिलाकर आवेदिका को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। दिनांक 17.10.2025 को विपक्षी सं०– 1 ता 3 लेखपाल आशुतोष को अपने साथ आवेदिका के घर पर लेकर आये और जबरन विपक्षीगण लेखपाल आशुतोष धमकी देने लगे कि तुम्हारे ससुर के नाम से हुआ पट्टा निरस्त कर दूंगा और विपक्षी सं० 1 ता 3 जातिसूचक शब्दों से मां–बहन की गाली देने लगे। पुनः 22.10.2025 को समय 2–3 बजे दिन में विपक्षीगण प्रार्थिनी के घर में घुसकर गाली–गुप्ता देते हुए मारे–पीटे तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। आवेदिका ने घटना की सूचना थाना मुकामी दी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब आवेदिका ने घटना की सूचना जरिये रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को दिया, वहाँ से भी कोई कार्यवाही न होने की दशा में न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए थाना मुकामी को आदेशित करने की कृपा की जावे कि वे विपक्षी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करें तथा कृत कार्यवाही से श्रीमान जी को सूचित करें। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.10 16:31:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. आवेदिका के उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षीगण राजकुमार, सुनील कुमार व सनोज कुमार द्वारा आपत्ति का०सं०–13 ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदिका द्वारा झूठे तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थीगण के चन्द दुश्मनानों की साजिश में आकर मनगढन्त आधार पर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका द्वारा जिस आराजी के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवाद का तथ्य बताया जा रहा है, वह भूमि गाटा सं0–177 रक्बा 0–2–17 चकबन्दी के पूर्व मूसे पुत्र जगमोहन के नाम से दर्ज रहा, जिसे प्रार्थी के पिता द्वारा जरिए बैनामा प्राप्त किया गया था, जिस पर हम प्रार्थीगण के पिता रामनरेश का झोपडी व बतौर सहन मौजूद रहा। दौरान चकबन्दी आकर पत्र 41 व 45 में हरिजन आबादी के नाम से दर्ज हो गया था, जिसके कारण पिता रामनरेश के द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार महोदय नौगढ़ के द्वारा पारित आदेश दिनॉक 04.10.1988 के बावत उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता रामनरेश पुत्र लालू के नाम से दर्ज खतौनी हुआ। वर्ष 1988 के पूर्व से हम प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज होकर भोग–भुगत कर रहे हैं। मामला पूर्णतया दीवानी प्रकृति का है, जिसे फौजदारी मुकदमे का रंग देने और नाजायज दबाव बनाने की नियत से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से प्रार्थना–पत्र पूर्णतया दुर्भावनापूर्ण है। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) दं०प्र०सं० को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। आपत्तिकर्ता द्वारा दस्तावेजीय साक्ष्य के रूप में सूची का०सं०–15 ख के माध्यम से 05 किता दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदिका के उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षी सं०–04 की तरफ से आख्या प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया गया है कि राजस्व टीम द्वारा दिनांक 17.09.2025 को ग्राम महदेवा बुजुर्ग में मौके पर जांच किया गया, जिसमें वादिनी ज्ञानमती भी उपस्थित थी (फोटोग्राफ संलग्न है)। शिकायती प्रार्थना पत्र जांच में पाया गया कि ग्राम महदेवा बुजुर्ग तप्पा बरगदवा के जोत चकबन्दी आकार पत्र 41, 45 में गाटा सं०– 177/0.054 हे० नवीन परती के खाते में दर्ज है तथा हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित भूमि है। खतौनी सन् 1424 से 1429 के खाता सं०– 159 के गाटा सं०–177 मि०/0.036 हे० में रामनरेश पुत्र लालू के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। स्थलीय जांच में रामनरेश पुत्र लालू द्वारा वाद सं०– 3/2020 अपील संख्या–31 न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी आदेश दिनांक 20.09.2019 द्वारा गाटा सं०– 177 मि०/0.036 हे० से रामनरेस पुत्र लालू का नाम निरस्त कर हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित करने का आदेश पारित हुआ है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील सं० 169 कंप्यूटरीकृत वाद सं०– 2020531763000002 न्यायालय उपसंचालक चकबन्दी रामनरेश बनाम छोटेलाल अन्तर्गत धारा 98(1) बावत् 170, 177 का वाद विचाराधीन है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। **<u>अभिलेखीय जांच में पाया गया कि गाटा सं०– 177 मि० के संबंध में तहसील के पट्टा पत्रावली अभिलेख में वादिनी ज्ञानमती पत्नी मोहन के नाम कोई पट्टा नहीं पाया गया है। स्थलीय जांच में यह भी पाया गया कि गाटा सं०– 177 मि० में वादिनी ज्ञानमती का कोई कब्जा भी नहीं है। उनके पास रहने के लिए गांव में पर्याप्त आवास है।</u>**

5. उपजिलाधिकारी नौगढ़ द्वारा प्रकरण उपरोक्त के सम्बन्ध में इस आशय की जाँच रिपोर्ट प्रेषित की गयी कि विपक्षी संख्या 04 के ऊपर लगाया गया आरोप निराधार है। विपक्षी संख्या–04 तहसील नौगढ़ के ग्राम महदेवा बुजुर्ग तप्पा बरगदवा में कार्यरत आशुतोष वर्तमान लेखपाल के पद पर कार्यरत एक लोक सेवक के रूप में पदीय दायित्व का सम्यक निर्वहन करने वाले व्यक्ति है। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में लेखपाल आशुतोष की आख्या के आधार पर वास्तविक तथ्य यह है कि ग्राम महदेवा बुजुर्ग तप्पा बरगदवा

के जीत चकबन्दी आकार पत्र 41,45 में गाटा संख्या 177/0.054 हे० नवीन परती के खाते में दर्ज है तथा हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित भूमि है। खतौनी सन 1424 से 1429 के खाता संख्या 159 के गाटा संख्या 177 मि०/0.036 हे0 में रामनरेश पुत्र लालू के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। स्थलीय जाँच में रामनरेश पुत्र लालू द्वारा वाद संख्या 03/2020 अपील संख्या–31 न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी आदेश दिनाँक 20.09.2019 द्वारा गाटा संख्या 177 मि०/0.036 हे० से रामनरेश पुत्र लालू का नाम निरस्त कर हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित करने का आदेश पारित हुआ है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील सख्या–169 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 2020531763000002 न्यायालय उपसंचालक चकबन्दी रामनरेश बनाम छोटेलाल अन्तर्गत धारा 98(1) बाबत गाटा संख्या 170,177 का वाद विचाराधीन है। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अभिलेखीय आधार पर वास्तविक तथ्य यह है कि गाटा संख्या 177 मि० के सम्बन्ध में तहसील के पट्टा पत्रावली अभिलेख में वादी ज्ञानमती पत्नी मोहन के नाम कोई आवासीय पटटा नहीं पाया गया है। स्थलीय जाँच के आधार पर वास्तविक तथ्य यह है कि गाटा संख्या 177 मि० में वादी ज्ञानमती का कोई कब्जा भी नहीं है। इनके पास रहने के लिए गाँव में प्रर्याप्त आवास है। उपरोक्त जाँच आख्या के साथ नायब तहसीलदार नौगढ़ की जाँच आख्या भी संलग्न है।

6. उपजिलाधिकारी नौगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या के विरूद्ध आवेदिका द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया गया है कि उपजिलाधिकारी नौगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या झूठे अभिकथनों पर आधारित है। जोत आ०प० 41 में खाता संख्या 212 नई गाटा संख्या 177 रक्बा 0–4–5 धुर और विवरण कॉलम 8 में हरिजन आबादी जिसका पुराना नम्बर 378/7 मि० दर्ज है जो जोत आ०प० 45 खतौनी खाता सं०–212 नई परती में नई गाटा संख्या 177/0–4–5 धुर हरिजन आबादी है चो चकबन्दी प्रक्रिया वर्ष 1970–75 के समय का ही है। गाटा सं० 177/0–4–5 यानी रकबा 8 मन्डी 5 धुर में से रकबा 0–1–15 धुर यानी 3 मन्डी, 5 धुर मौजा महदेवा बुजुर्ग तप्पा बरगदवा परगना व तहसील नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पर प्रार्थिनी अपने ससुर बाबूराम पुत्र चिरकूट के समय से फूस झोपड़ी डाल करके पूरे परिवार के साथ शांतिपूर्वक, बेरोकटोक के रहती चली आ रही हूँ। प्रार्थिनी के हक में गाटा सं०–177/0–4–5 धुर में से रकबा 0–1–15 धुर यानी रकबा 03 मन्डी 05 धुर का आवासीय पट्टा दिनांक 05.09.1986 रसीद सं०–26 किताब सं०–96830 ग्राम प्रधान मोती लाल अपना हस्ताक्षर/मोहर व रामजीत सिक्रेटरी और लेखपाल छट्ठूराम हल्का नं०– 149 अपना–अपना हस्ताक्षर बना करके फार्म 04 को दिया गया है, जिसे मूल से प्रमाणित नोटरी कापी बतौर सबूत में दिया जाता है, जो कब्जा–दखल साबित करता है। प्रार्थिनी के हक में गाटा सं०–177/0–4–5 में से रकबा 0–1–15 धुर आवासीय आवंटन दिनांक 05.09.1986 को ग्राम प्रधान द्वारा हरिजन आबादी में धारा 63, 64 व 65 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के तहत कब्जा प्रदान किया गया है तथा धारा 67 क(2) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार कोई निर्माण (सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित न हो) दिनांक 29.11.2011 को विद्यमान हो तो गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित किये जाये, ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जायेगा, जिसके अनुसार प्रार्थिनी हकदार हो चुकी है। गाटा सं०– 177 में से 03 मन्डी 05 धुर निकाल देने पर शेष रकबा 05 मन्डी बच रहा है, जिसे मुल्जिमान सं० 1 ता 3 अपने आपत्ति दिनांक 18.12.2025 के आपत्ति के पैरा 02 में गाटा सं०– 177/0–2–17 चकबन्दी के पूर्व मूसे पुत्र जगमोहन के नाम से दर्ज रहा, जिसे मुल्जिमान 1 ता 3 के पिता राम नरेश ने

बैनामा से प्राप्त किया था, किन्तु उक्त बैनामा का तारीख, माह, वर्ष का वर्णन नहीं किया गया है और न ही दस्तावेज दाखिल किया जा रहा है। गाटा सं० 177/0–4–5 धुर जोत आकार पत्र 41 में हरिजन आबादी है, जो हरिजन लोगों का है, सवर्ण लोगों के लिए नहीं है। हरिजन आबादी दर्ज करते समय मूल खातेदारों को जमीन की मालियत लगा करके उनके नाम से दिये गये चक में उनका अंश दे करके चकबन्दी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वर्णित नंबर हरिजन आबादी दर्ज किया गया है। ग्राम प्रधान द्वारा प्रार्थिनी को कब्जा–दखल सबूत 05.09.1986 का है तथा मुल्जिमान के पिता राम नरेश पुत्र लालू के पक्ष में हर कार्यवाही वर्ष 1988 के समय यानी दो वर्ष के बाद जान बूझकरके अपने पैसे के बल पर प्रार्थिनी को परेशान किया जा रहा है। हल्का लेखपाल मुल्जिम सं०– 04 है, उनसे भिन्न लेखपाल से रिपोर्ट मंगाया जाना चाहिए था। घटना दिनांक 17.10.2025 व 22.10.2025 को मुल्जिमान द्वारा आवेदिका के घर में घुसकर एकराय गोलबन्द होकर आपराधिक आशय से लात–मूका से मारा–पीटा गया व उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर जान से मारने की धमकी देते हुए घर से जबरन बेदखल करने का प्रयास किया गया है।

दिनॉकः–10–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–।)
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश
एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट, सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736